

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 9-4/2015/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 10-12-2015

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय- राज्य शासन के सेवा निवृत्त कर्मचारियों के अंतरिम पेंशन (Provisional Pension) पर देय मंहगाई राहत की स्वीकृति ।

—••—


वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 9-2/2013/नियम/चार, दिनांक 13 जनवरी, 2015 द्वारा राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को जिनकी अंतरिम पेंशन (Provisional Pension) पांचवे वेतनमान में प्राप्त वेतन के आधार पर है को उक्त वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन का 111% दिनांक 1-1-2013 से तथा 149% मंहगाई राहत दिनांक 1-1-2015 से दिये जाने के आदेश जारी किये गये थे ।

2/ राज्य शासन के पेंशनर्स को तदुपरान्त स्वीकृत मंहगाई राहत के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया गया है कि ऐसे सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी जो पांचवे वेतनमान में वेतन प्राप्त कर विभागीय जांच/न्यायिक प्रकरण आदि के कारण अंतरिम पेंशन (Provisional Pension) प्राप्त कर रहे हैं उन्हें निम्नानुसार दरों पर मंहगाई राहत स्वीकृत की जाए :-

अवधि	50% मंहगाई राहत को मंहगाई पेंशन के रूप में परिवर्तित करने के फलस्वरूप प्राप्त पेंशन के योग पर
दिनांक 1-7-2015 से (माह जुलाई, 2015 का अंतरिम पेंशन/परिवार पेंशन जो अगस्त, 2015 में देय है)	159%

3/ मंहगाई राहत के कारण किये जाने वाले भुगतान 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि छोड़ दिया जावेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(अनिरुद्ध मुकुर्जी)
सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

PTO

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 9-4/2015/नियम/चार
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 10-12-2015

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा, म.प्र. किसान भवन, भोपाल
26. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
27. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।



(उपेन्द्र शर्मा)

अवर सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग